


(2)
R 1473 PB 217



चंदनसिंह उम्र करीब 54 वर्ष आ. गौरीशंकर
निवासी फौजदार कॉलोनी रसूलिया होशंगाबाद तह. व जिला होशंगाबाद आवेदक
विरुद्ध

1. अनौखेलाल राजोरिया आ. तीरालाल राजोरिया
निवासी आई.टी.आई. रोड, शिव मंदिर के पास, होशंगाबाद
तह. व जिला होशंगाबाद
- 2 श्रीमती गीता बाई पत्नि स्व. अर्जुनसिंह राजपूत
- 3 कृ. साधना आ. स्व. अर्जुनसिंह राजपूत
- 4 कृ. प्रिया आ. स्व. अर्जुनसिंह राजपूत

निवासी डोंगरवाड़ा तह. व जिला होशंगाबाद उत्तरवादीगण

श्री सुनील गोयल

देवाका द्वारा 23-5-17

क्षेत्रीय न्यायालय के प्रस्तुत

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

आवेदक यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 278/पी/2009-10 चंदनसिंह विरुद्ध अनौखेलाल में पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 जो कि अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद द्वारा रा.प्र.क्र. 11/अपील/2006-07 चंदनसिंह विरुद्ध अनौखेलाल में पारित आदेश दिनांक 11.03.2008 तथा तहसीलदार महोदय होशंगाबाद के रा.प्र.क्र. 118 अ/6 वर्ष 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 27.10.2006 से उत्पन्न हुआ के विरुद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करता है :-

दिनांक

23-5-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1473-पीबीआर/17

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

26-12-2017

आवेदक चन्दन सिंह अपने अभिभाषक श्री मेघदीप गौर सहित उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अनुरोध स्वीकार किया जाता है । अतः आवेदक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है ।

(मनोज गोयबल)
अध्यक्ष